राज्य शासन द्वारा दिनांकः 31.03.2015 तक समावेश करके पिछड़े वर्गों की जातियों, उपजातियों वर्ग समूहों की यथा संशोधित सूची इस प्रकार हैः–

क्र.	नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी ग्वारी, रावत, गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, गोपाल, यादव, राऊत, ग्वाला, गहिरा, गौली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति. पशुपालन दुग्ध विक्रय तथा जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस आदि पशु चराना. पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय करने वाली जाति. पशुपालन, दुग्ध विक्रय एवं गाय, बैल, भैंस आदि पशु चराना.	"यादव" अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने यादव कहती हैं व लिखती है। ब्राम्हण रावत तथा राजपूत रावत शामिल नहीं हैं। इसमें यादव राजपूत शामिल नहीं है। इसमें ब्राम्हण राऊत एवं राजपूत राऊत शामिल नहीं है।
2.	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	–
3.	बैरागी, वैष्णव, थनापति	धार्मिक भिक्षावृति करने वाली जाति.	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है ब्राम्हण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये है।
4.	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा, धरिया, लभाना, लबाना लामने	घुम्मकड़ बैलों को होककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है नायक ब्राम्हाण शामिल नहीं है ।
5.	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया	पान उत्पादन व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते है।
6.	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना.	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है।
7.	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	–
8.	बसुदेव, बसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरूदावली गाना एवं बैल भैंसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में बसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है।
9.	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना.	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नहीं है।
10.	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्तमक कविता–पाठ व विरूदावली का गायन करना.	–
11.	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर निराली, रंगारी, मनधाव	कपड़ों में छपाई व रंगाई	–
12.	ढीमर, भोई कहार, कहरा, धीवर / मल्लाह, नावड़ा / तुरहा, केवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, कवट, कीर, ब्रितिया वित्तिया, सिंगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर जिले में), सोधिया,	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्आ उगाना पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार गोपाल की उपजाति है इसी रूप मे सम्मिलित किया गया है। जालारी, जलारनलू बस्तर जिले में पाई जाती है।
13.	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार / पवार राजपूत शामिल नहीं है
14.	भुर्तिया, भुतिया, भोरथिया, भोरतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	–
15.	गोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राम्हाण है सूची में शामिल किया गया है।
16.	भटियारा, हलवाई, गुरिया	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करना है।	–
17.	चुनकर, चुनगर, कुलबंधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना.	
18.	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना.	
19.	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर

20.	धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ	कपड़ा साफ करना	–
21.	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राम्हाण नहीं है।
22.	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नही है।
23.	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी, गड़रिया गारी, गायरी, पाल, बघेले, गड़ेरी	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियां को पाल व बघेले गड़रिया जाति की उपजाति के रूप में शामिल किये गये हैं बघेल राजपूत पिछड़ी जाति में शामिल नहीं हैं।
24.	कड़ेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रूई धुनकरन का कार्य कराना कड़ेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते है।	–
25.	कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, कोष्टा, माला पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोसकाटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते है।
26.	धोली / डफली / डफानी / ढोली, दमानी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिवमंदिरों में पूजा व उपजातियां ढोल बजाने का कार्य करती है।	इस समूह में ब्राम्हाण समूह शामिल नही है।
27.	गुसाई, गोस्वामी, गोसाई	धार्मिक, भिक्षावृत्ति, मंदिरों में महंती .	ब्राम्हाण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है।
28.	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन.	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वो सम्मिलित नहीं है।
29.	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, डुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना.	विश्वकर्मा में ब्राम्हाण वर्ग सम्मिलित नहीं है।
30.	गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी	गारपगारा ओलावृष्टि की सेक करने फसल की रक्षा का कार्य करते है। जोगी व इस समूह की अन्य जातियों धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते है.	"जोगी" धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हाण हैं वे शामिल नहीं है।
31.	घोषी	भैंस पालन व पशुपालन.	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं है।
32.	सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औंधिया, सोनी	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढ़ने व बनाने का कार्य करना.	इस समूह में सोना–चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नही है।
33.	(अ) काछी कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर (ब) माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार	शाक–सब्जी उत्पादन व साक–सब्जी तथा फुल उत्पादन व बागवानी.	"कुशवाहा" काछी कोयरी व कोईरी जाति की उपजाति है, काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां है कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं है। गाँव के मुखिया, पटेल पद तथा अघरिया–धाकड़ आदि अन्य जाति, जो पटेल उपनाम लिखते हैं शामिल नहीं है।
34.	जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता, **भटरी**, **भड़री**, **भठरी**	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना.	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते ह। जोशी ब्राम्हाण इसमें शामिल नहीं है।
35.	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूड़ियां बेचना.	–
36.	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा पीतल, व कांसा के बर्तन बनाना.	–
37.	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक.	–
38.	कुम्हार, प्रजापति, कुंभार,	मिट्टी के बर्तन बनाना.	–
39.	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुंभी, गवेल, गमेल, सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू, गबेल, **कुन्बी, कुनवी**	कृषक, कृषि मजदूरी.	–
40.	कमरिया	पशुपालन व दुग्ध विक्रेता.	–
41.	कौरव, कांवरे	कृषक.	–
42.	कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना, **कलवार**	मदिरा (शराब) बेचना.	–

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर.

43.	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक.	—
44.	लोनिया, लुनिया, औड़, ओडे, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा, नुनिया, नोनिया	नमक बनाना व साफ करना मिट्टी खोदना.	—
45.	नाई, सेन, सविता, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे, नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई है।
46.	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी.	—
47.	पनका, पनिका	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना, बुनकर.	—
48.	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना.	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49.	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	—
50.	सिकलीगर	शस्त्र सुफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना.	—
51.	तेली, ठाठ, साहू, राठौर	तेल पेरना बेचने का व्यवसाय करना.	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते हैं को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं है।
52.	तुरहा, तिरवाही, बड्डर	मिट्टी खोदने का काम करना पत्थर तरासना.	—
53.	तवायफ, किसडी, कसडी	नाच–गाकर मनोरंजन करने वाले.	—
54.	वोवरिया	मजदूरी.	—
55.	रौतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थी.	सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती है।
56.	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना.	मानकर की उपजाति "निहाली" अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
57.	कोटवार, कोटवाल	ग्राम चौकीदारी.	—
58.	खैरूवा	कत्था बनाना.	"खैरूवा" खैरवार की उपजाति है "खैरवार" अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
59.	लोढ़ा, तंवर	कृषिक, मजदूरी लकड़ी बेचकर, जीवन, यापन करपा.	—
60.	मोवार, मौवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी.	एक अघोषित आदिम जनजाति
61.	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूरी.	—
62.	अघरिया	कृषक एवं कृषि मजदूरी.	यह जाति अगरिया जनताति से भिन्न जाति है।
63.	तिऊर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना.	
64.	भारूड़	पशुओं की देखरेख पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगलकाल में फौजी रसद ढोने का कार्य भी करते थे।
65.	सुत सारथी–सईस / सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना.	—
66.	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक.	जंगली आदिम जाती जो तेलुगु भाषी है विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है।
67.	राघवी	कृषि कार्य करना.	—
68.	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी.	—
69.	खारोल	कृषि मजदूरी.	—
70.	सरगरा	ढोल बजाना.	—
71.	गोलान, गवलान, गौलान	गाय भैंस पालना और दुध का व्यवसाय करना.	—
72.	रज्जड़ रजझड़	कृषि मजदूरी.	—
73.	जादम	कृषि मजदूरी.	—
74.	दांगी	कृषक .	"दांगी" राजपूतों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।
75.	गयार / परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले.	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं
76.	कुड़मी	कृषक.	—
77.	मेर	कृषि मजदूर.	—

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

78.	बाया महरा/कौशल, वया, बया	बुनकर	अधिकांशत/दुर्ग जिले में निवास करते है।
79.	पिंजारा (हिन्दू)	–	–
80.	विलोपित	–	–
81.	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म अथवा बौद्ध धर्म (नवबौद्ध) स्वीकार कर लिया है।	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है.	अनुसूचित जातियाँ जिन्होंने ईसाई व बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, उनको आयोग द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल कर लिया गया है।
82.	आंजना	–	–
83.	धोरिया	–	–
84.	गेहलोत मेवाड़ा	–	–
85.	रेवारी	–	–
86.	रूआला/रूहेला	–	–
	मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग/समूह		
87.	(1) रंगरेज	कपड़ो की रंगाई	हिन्दु छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहर जाति के समान व्यवसाय
	(3) छीपा	कपड़ा में छपाई करना	हिन्दु छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दु मेहतर जाति के समान व्यवसाय
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	–
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
	(7) मेवाती	कृषि पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दु मेवाती जाति के समान व्यवसाय
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर	रूई धुनाई का कार्य	हिन्दूओं के कड़ेरा जाति के समान।
	(9) कुजड़ा, राईन	साग–सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान व्यवसाय
	(10) मनिहार, चुड़िहार	कांच की चूड़ियां व बिसात खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान व्यवसाय
	(11) कसाई, कस्साब	पशुओं का वध एवं उनका गंसा/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दु खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरूदावली, यशोगान का वर्णन	हिन्दु भाट जाति की तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढ़ई (कारपेन्टर)	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम	हिन्दु बढ़ई जति के समान पेशा करने वाले
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दु नाई जति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	–
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दु कोष्टा/कोष्टा के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
	(19) तड़वी	कृषि कार्य	–
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैल गाड़ी से समान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय	हिन्दुओं में बंजारा जाति के सामान व्यवसाय
	(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय
	(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर	कोल्हु पेरकर तेल निकालना व बेचना	हिन्दु तेली जाती के समान पेशा करने वाले
	(23) पेमदी	पेड़ पौधों की कलम लगाने का धंधा	–
	(24) कलईगर	बर्तनों में अन्य सामान में कलई करना	–
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ों के पैरो में नाल बांधने का कार्य	–
	(26) शीशनगर	–	–

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
रायपुर.

88	—		
89.	शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी	मदिरा बनाना एवं बेचना.	यह जाति मुख्यतः रायपुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़ जिलों में पायी जाती है।
90.	भूलिया–भोलिया, **भुलिया**	सूती कपड़ा बुनना.	—
91.	पोबिया	खेती मजदूरी.	यह जाति रायगढ़ जिले में निवास करती है।
92.	खर्रा, खडरा, खोडरा	बर्तन मरम्मत करना एवं फेरी लगाकर बर्तन बेचना.	—
93.	रौनियार, **कमलापुरी**	कृषि, पशुपालन, बैल/ घोड़े पर सामान लादकर घूम–घूमकर बेचना एवं मजदूरी.	इस समूह में वैश्य शामिल नही है।
94.	बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द	कुँआ, तालाब, बावली, खोदना, खेतों में गड्ढा खोदना एवं मछली पकड़ना.	जांजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखंड के नगपुरा, झपेली, बरभाठा, इमली भाठा, रामपुर एवं शनिचरा ग्राम तथा मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं।
95.	झोरा	मिट्टी को धोकर सोना निकालना, कृषि, मजदूरी, मछली पकड़ना.	मख्य रूप से जशपुर जिले मे निवास करते है। कुल जनसंख्या रायगढ़ जिले में निवासरत है।

सचिव,
छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,
रायपुर (छ.ग.)